



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा 2016/

दिनांक 02-01-2017

संशोधित सूचना

परीक्षा दिसम्बर 2016-जनवरी 2017 के समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक अंक एवं पीजीडीसीए/डीसीए के प्रायोगिक अंक ऑनलाइन भरने के निर्देश एवं अंतिम तिथि परिपत्र क्रमांक 4598 दिनांक 25-11-2016 के द्वारा जारी किये गये थे। इसके अनुसार दिनांक 23-12-2016 तक ऑनलाइन अंक स्वीकार किये गये थे। विश्वविद्यालय के निर्देशों के बावजूद कुछ संस्थाओं द्वारा नियत तिथि तक ऑनलाइन अंक नहीं भरे गये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसी संस्थाओं को एक अवसर देते हुये ऑनलाइन अंक आर्थिक दण्ड सहित स्वीकार किये जायें।

ऐसी संस्थाओं हेतु एमपीऑनलाइन लि. के पोर्टल पर लिंक दिनांक 03-01-2017 से 07-01-2017 सायं 5:30 तक ऑनलाइन अंक भरने हेतु खोली जायेगी। प्रायोगिक परीक्षा के अंक रु.100/-प्रति छात्र एवं आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा के अंक रु. 500/-प्रति छात्र आर्थिक दण्ड की दर से स्वीकार किये जा सकेंगे। आर्थिक दण्ड एमपीऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन ही लिया जायेगा। अध्ययन संस्थाएँ इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन क्र./परीक्षा 2016/

दिनांक 02-01-2017

प्रतिलिपि

1. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त प्रभारी, खंडवा परिसर, नोयडा परिसर, ग्वालियर, रीवा एवं अमरकंटक परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त प्रभारी, संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संचालक, एमपी ऑनलाइन लि. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट की ओर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक